कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 673 राँची, दिनांक– 25/7/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– मेसर्स सी0सी0एल0 के पुरनाडीह ओ0सी0पी0 परियोजना हेतु 323.49 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-61/2018-FC दिनांक 03.06.2022 एवं विभागीय पत्रांक– वन भूमि–27/2016–1646 दिनांक 13.06.2022
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 1516 दिनांक 13.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र–1 द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1516 दिनांक 13.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव में विलम्ब होने का कारण के संबंध में justification प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में विलम्ब के संदर्भ में निम्नवत् तथ्य अवलोकनीय है :–

(क). भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-61/2018-FC-DFA-I दिनांक 22.08.2019 द्वारा की गयी पृच्छाओं के अनुपालन हेतु प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 10.09.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को तदनुसार निदेशित किया गया। उक्त बैठक की कार्यवाही में प्रस्तावित वनभूमि तथा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि पर कोई महत्वपूर्ण Religious/Archaeological साईट अवस्थित नहीं है, के संबंध में Archaeological Survey of India (ASI) से Archaeological साईट से संबंधित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसे निराकरण प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 23.09.2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से धार्मिक एवं पुरातात्विक से संबंधित प्रमाण–पत्र निर्गत हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 16.11.2020 एवं 19.11.2020 को महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारित करते हुए पुनः अनुरोध किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर दिनांक 19.03.2021 को प्रतिवेदित समर्पित किया गया। संबंधित अंचल अधिकारी से धार्मिक महत्व के स्थानों के संबंध में भी प्रमाण–पत्र दिया गया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 04.05.2021 को अभिलेखों के साथ निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल कार्यालय में समर्पित किया गया।

(ख). प्रस्ताव में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1028 दिनांक 29.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार के पत्रांक F.No.-8-61/2018-FC-DFA-I दिनांक 22.08.2019 के पृच्छा बिन्दु संख्या–5 State Government shall also analyze the proposal in light of observation of Hon'ble Supereme Court in case of Lafarge Umiam V/s Union of India in 2011 तथा भारत सरकार के पत्रांक F.No.-8-61/2018-FC-DFA-II दिनांक 22.08.2019 के पृच्छा बिन्दु संख्या–2 Can project area for which mining plan is approved by competent authority shall be taken as single lease area to analyze the fait accompli situation as reffered by Hon'ble Supereme Court in their Lafarge

25.07.2022

Umiam V/s Union of India case in 2011 के संबंध में पृच्छा का निराकरण हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची से विधिक सलाह प्राप्त करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ एवं पत्रांक 2374 दिनांक 08.12.2020 द्वारा मामले में मंतव्य प्राप्त करने हेतु याचित पूर्ण Facts का Brief नोडल पदाधिकारी के कार्यालय को प्राप्त हुआ। नोडल पदाधिकारी के कार्यालय के पत्रांक 1154 दिनांक 16.12.2020 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड एवं राज्य सरकार को संदर्भित मामले में महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची से विधिक सलाह प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड द्वारा उनके पत्रांक 2596 दिनांक 31.12.2020 द्वारा विधिक परामर्श हेतु राज्य सरकार को भेजा गया। इस कार्यालय के पत्रांक 640 दिनांक 31.05.2021 द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त करने हेतु पुनः स्मार अनुरोध भेजा गया। राज्य सरकार के पत्रांक 1739 दिनांक 29.06.2021 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची से विधिक परामर्श प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 785 दिनांक 06.07.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा को प्रेषित किया गया।

(ग). विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्रांक F.No. 8-61/2018-FC-DFA-I &DFA-II दिनांक 22.08.2019 द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2255 दिनांक 22.11.2021 द्वारा प्राप्त हुआ एवं पत्रांक 2601 दिनांक 31.12.2021 द्वारा परियोजना प्रस्ताव के क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का संशोधित KML file, Geo-reference map, Topo map & online Part-II तथा संशोधित वनरोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन एवं भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र नोडल कार्यालय को भेजा गया, जिसे नोडल कार्यालय के पत्रांक 144 दिनांक 17.02.2022 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया। तदोपरान्त राज्य सरकार के पत्रांक 992 दिनांक 29.03.2022 द्वारा वांछित निराकरण प्रतिवेदन भारत सरकार को स्टेज–I की स्वीकृति हेतु समर्पित किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों द्वारा प्रस्ताव में विलम्ब होने की स्थिति स्पष्ट की गयी है। निराकरण प्रतिवेदन में प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक PO/PND/22-23/311 दिनांक 25.06.2022 द्वारा प्रस्ताव में विलम्ब होने का मुख्य कारण निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

"the main reason for delay in submission of additional information by the project proponent was mainly due to time taken to obtain requisite certificates from Archaeological survey of India and respective Circle Officers, GoJ regarding religious site/places".

अतः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

25.07.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 673 दिनांक– 25/7/2022

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/मुख्य महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.07.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

25.7